राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार –2017

लोक अदालत के समक्ष

स्थान जिला मुख्यालय टोंक

याची/वादी/परिवादी:– राजेश पुत्र देवीलाल जाति मीणा निवासी सालग्यावास तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राज0

प्रतिवादी/प्रत्यर्थी:–नायब तहसीलदार टोडारायसिंह जिला टोंक

न्यायालय अति0 कलेक्टर टोंक की कार्यवाही संख्या:–214/2016

उपस्थित:–श्री मनीष कासलीवाल, अभि0 अपीलाण्ट/श्री जुगनू शर्मा, राजकीय अभि0 रेस्पो0

अध्यक्ष का नाम :– श्री लोकेश कुमार गौतम, अति0 जिला कलेक्टर, टोंक

सदस्य का नाम :– अभिभाषक डॉ0 गजेन्द्र कुमार शर्मा

निर्णय

दिनांक 12.05.2017

पक्षकारों के बीच विवाद लोक अदालत के अवधारण के लिए निर्दिष्ट किए गए है और पक्षकारों ने मामले/विषय पर समझौता/परिनिर्धारण कर लिया है, परिनिर्धारण के निबंधनों के अनुसार निम्नलिखित निर्णय पारित किया जाता है:–

अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमित भूमि पर पक्का निर्माण नहीं होने, कब्जा छोडने व भविष्य में राजकीय भूमि पर कब्जा नहीं करने का शपथ पत्र नायब तहसीलदार टोडारायसिंह के समक्ष प्रस्तुत करने की शर्त पर, राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्य नजर रखते हुए अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार कर नायब तहसीलदार टोडारायसिंह द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.09.2016 से अपीलाण्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा अपास्त की जाती है, शेष निर्णय यथावत रहेगा। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है। साथ ही निर्देशित किया जाता है कि यदि अपीलाण्ट पुनः अतिक्रमण करता है या पूर्व में अतिक्रमण नहीं करने बाबत शपथ पत्र पेश किया हुआ है तो अतिक्रमी के विरूद्व सी0आर0पी0सी0 की धारा 182 की कार्यवाही अमल में लायी जावे, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा।

याची/वादी/परिवादी
अभिभाषक

सदस्य
अधिवक्ता

प्रतिवादी/प्रत्यर्थी
राजकीय अधिवक्ता

अध्यक्ष
अति0 जिला कलेक्टर
टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

न्यायालय की मुद्रा

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

Scanned by CamScanner